

कार्यालय कार्यपालन अभियंता
लोक निर्माण विभाग राष्ट्रीय राजमार्ग संभाग अम्बिकापुर (छ.ग.)

ज्ञापन क्र. 1787/शिल्प/2022

अम्बिकापुर, दिनांक-21/09/2022

प्रति,

वनमण्डलाधिकारी,
बलरामपुर वनमण्डल,
बलरामपुर (छ.ग.)

विषय :- Diversion of Forest Land for Non forest Purpose under Forest Conservation Act, 1980 Proposed for widening of existing road from Ambikapur to Ramanujganj Road National Highway 343, Area-104.427 ha.

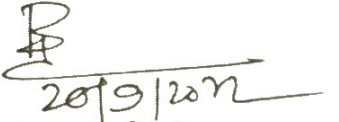
संदर्भ :- (1) इस कार्यालय का ज्ञापन क्र. 1652 / शिल्प/ 2022-23/ अम्बिकापुर, दिनांक 02.09.2022 द्वारा वनमण्डलाधिकारी, सरगुजा वनमण्डल, अम्बिकापुर (छ.ग.) की ओर प्रेषित।

(2) आपका पत्र क्र./मा.चि./2022/5499, बलरामपुर, दिनांक 04.08.2022

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत राष्ट्रीय राजमार्ग क्र. 343 अम्बिकापुर-रामानुजगंज-गढ़वा मार्ग का उन्नयन/चौड़ीकरण कार्य के प्रस्तावित मार्ग के सीमांकन में वनमण्डल सूरजपुर अंतर्गत वनक्षेत्र प्रभावित नहीं होता है। जिस कारण वनभूमि व्यपवर्तन प्रस्ताव वनमण्डल सूरजपुर को प्रेषित नहीं किया गया है।

तत्संबंध में आपकी ओर सूचनार्थ प्रेषित।

सहपत्र :- शून्य।


20/9/2022

कार्यपालन अभियंता,
लोक निर्माण विभाग, राष्ट्रीय राजमार्ग
संभाग अम्बिकापुर (छ.ग.)

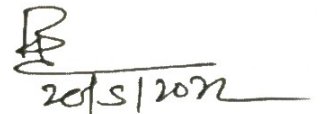
पृष्ठा क्र. 1788/शिल्प/2022

अम्बिकापुर, दिनांक-21/09/2022

- प्रतिलिपि :-**
1. मुख्य अभियंता, लोक निर्माण विभाग राष्ट्रीय राजमार्ग परिक्षेत्र, रायपुर (छ.ग.) की ओर सादर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
 2. क्षेत्रीय अधिकारी, भारत सरकार, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग, एन.एच. कैम्पस, पेंशनबाड़ा रायपुर (छ.ग.) की ओर सादर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
 3. अधीक्षण अभियंता, लोक निर्माण विभाग राष्ट्रीय राजमार्ग मण्डल बिलासपुर (छ.ग.) की ओर सादर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
 4. वनमण्डलाधिकारी, सरगुजा वनमण्डल, सरगुजा (छ.ग.) की ओर सादर सूचनार्थ सम्प्रेषित।

सहपत्र :- शून्य।




20/9/2022

कार्यपालन अभियंता,
लोक निर्माण विभाग, राष्ट्रीय राजमार्ग
संभाग अम्बिकापुर (छ.ग.)